जिस्ट्री सं० डी--(डी एन) 128/91

REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

CB 13/11/92

The Gazette of India

स० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 18, 1991 (वैशाख 28, 1913)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 18, 1991 (VAISAKHA 28, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

बम्बई दिना 05 ... 199

सं० 6/1991--... स्टेट बैंक ... अधिनियम, 1959 की ... अधिकारी ... स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद ... 6 ( ) 1), 7 और 19 में ... अनुमोदित ...।

नियम 6 ( ) (1)

... किए जाने ... अपने ... आने ... अधि ... का ... होगा

तथा यह अशदान वेतन में कटौती द्वारा किया जाएगा। प्रशासको को यह विशेषाधिकार होगा कि वे इस नियम के प्रवर्तन को निलम्बित कर सके अथवा कर्मचारी के अशदान के प्रतिशत को किसी भी समय उस अवधि के लिए जिसे वे आवश्यक समझे ... सकें और जब वे आवश्यक समझें इसे पुन लागू कर सकें ... यह पूर्वव्यापी प्रभाव के बिना होगा। उस अवधि के लिए जब कर्मचारी का पूर्ण मूल वेतन देय नहीं है, उसके अशदान की गणना उसके घटे हुए मूल वेतन (अगर दो) पर की जाएगी।

नियम 7

... बैंक हर महीने सभी कर्मचारियो ... के सदस्य है, दिए जाने वाले मूल वेतन और ... भत्ते ... अन्तर्गत आने वाले ... प्रतिशत के बराबर अभिदान देगा।

नियम 19

इन नियम तथा विनियमों के उपबधो के अध्यधीन हर वर्ष ... पेंशन योग्य सेवा के लिए सेवा निवृत्ति की तारीख

से पिछले 12 महीने की पेंशन योग्य सेवाकाल के दौरान लिए गए मूल वेतन के मासिक औसत के साठवें भाग की दर से पेंशन अदा की जाएगी ।

केन्द्रीय निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वी० महादेवन
प्रबंध निदेशक

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)

प्रधान कार्यालय

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 29 अप्रैल 1991

सूचना

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के शेयरधारियों की इक्तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक केरल स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, को-बैंक टावर्स, तिरुवनंतपुरम-695033 के सभा भवन में बुधवार, दिनांक 26 जून, 1991 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (मानक समय) निम्नलिखित कार्य हेतु सम्पन्न होगी ।

"31 मार्च, 1991 को समाप्त अवधि के लिए निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करना ।"

जे० सी० सोरस,
प्रबंध निदेशक

इंडियन बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

कार्मिक विभाग

मद्रास-600001, दिनांक 26 अप्रैल 1991

सं० एसआरसी/223/114.—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ इंडियन बैंक का निदेशक मंडल एतद्द्वारा इंडियन बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 को आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : इन विनियमों का नाम इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1991 होगा । ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

3. सूचित किए जाने वाले संशोधनों का विवरण : इंडियन बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979—विनियम 21, 22 (2), 24 (1) तथा 33 (4) का संशोधन ।

इंडियन बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979—विनियमों का संशोधित पाठ

महंगाई भत्ता

21. 01-11-1987 को और उस तारीख से महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी :

(1) अखिल भारतीय कर्मकार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960-100 के त्रैमासिक औसत में 600 बिन्दुओं के बाद हुए प्रति 4 बिन्दुओं की बढ़ोत्तरी या घटौती पर महंगाई भत्ता देय होगा ।

(2) निम्नलिखित दरों के आधार पर महंगाई भत्ता देय होगा :

1. रु० 2500/- तक के "वेतन" का 0.67 % और
2. रु० 2500/- से अधिक और रु० 4000/- तक के "वेतन" का 0.55 % और
3. रु० 4000/- से अधिक और रु० 4260/- तक के "वेतन" का 0.33% और
4. रु० 4260/- से अधिक "वेतन" का 0.17 %

मकान किराया भत्ता

22. (2) जहां 01-01-90 को और उस तारीख से जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा निवास स्थान नहीं दिया जाता है वहां वह अधिकारी निम्नानुसार मकान किराया भत्ते के लिए अर्ह होगा ।

कालम 1	कालम 1
जहां कार्य का स्थान निम्नलिखित है	वहां मकान किराया भत्ते की अधिकतम सीमा निम्नलिखित होगी
1	2
1. प्रधान 'क' वर्ग के शहर, जो सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार बोर्ड द्वारा उस प्रकार निर्दिष्ट किए जाते हैं और "क" वर्ग के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	मूल वेतन का 14% या अधिकतम रु० 450/- प्रति माह

1	2
2. क्षेत्र 1 के अन्य स्थान और "ख" वर्ग के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	मूल वेतन का 12 % या अधिकतम रु० 375/- प्रति माह
3. क्षेत्र 2 और राज्यों की राजधानियां और संघ-राज्य क्षेत्रों की राजधानियां जो उपर्युक्त मद (1) और (2) के अन्तर्गत नहीं आते	मूल वेतन का 10 % या अधिकतम रु० 325/- प्रति माह
4. क्षेत्र 3	मूल वेतन का 8% या अधिकतम रु० 300/- प्रति माह

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराए की वास्तविक रसीद प्रस्तुत करे तो उसे देय मकान किराया भत्ता उसके द्वारा अपने निवास स्थान के लिए प्रदत्त वास्तविक किराए की उसके उस वेतनमान में जिससे वह रखा गया है, पहले चरण के वेतन के 6% से अधिक की राशि होगी अथवा कालम II में सूचित दरों पर अधिकतम 175% अथवा जो भी कम हो मकान किराया भत्ता देय होगा ।

स्पष्टीकरण : 01-04-1990 से लागू

1. (ख) जहां निवास बैंक द्वारा किराए पर लिया गया हो बैंक द्वारा संविदात्मक अथवा ऊपर (क) के अनुसार परिकलित किराया जो भी कम हो देय होगा ।

2. इस विनियम में तथा विनियम 23 में क्षेत्र I, क्षेत्र II तथा क्षेत्र III से तात्पर्य होगा :

क्षेत्र I—12 लाख या उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र

क्षेत्रII—उपरोक्त क्षेत्र I में शामिल को छोड़कर सभी शहर जिनकी आबादी 1 लाख या उससे अधिक हो ।

क्षेत्र III—ऐसे सभी क्षेत्र जो क्षेत्र I एवं II में शामिल न हों ।

चिकित्सीय सहायता

24.1 प्रत्येक अधिकारी अपना और अपने कुटुम्ब की बाबत अपने द्वारा वास्तव में उपगत चिकित्सीय व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा ।

(क) चिकित्सीय व्यय : 1-1-90 को और उस तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ I में विनिर्दिष्ट वेतन परास में किसी अधिकारी और उसके कुटुम्ब के चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति स्वयं अधिकारी के ही इस प्रमाण-पत्र के आधार पर कि ऐसा व्यय उपगत किया है, जिसके समर्थन स्वरूप दावाकृत रकमों के लिए लेखा विवरण दिया जाएगा, सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सीमा तक की जा सकेगी ।

सारणी

वेतन परास (1)	वार्षिक प्रतिपूर्ति की सीमा (2)
रु० 2100/- प्रति माह से रु० 3060/- प्रमाण	रु० 750/-
रु० 3061/- प्रति माह और उससे अधिक	रु० 1000/-

टिप्पण : किसी अधिकारी को ऐसी चिकित्सीय सहायता का, जिसका लाभ नहीं उठाया गया है, किसी समय ऊपर उपबंधित अधिकतम रकम के अधिक से अधिक तीन गुने तक संचित किया जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी का "कुटुम्ब" केवल पति/पत्नी पूर्णतया आश्रित संतान और पूर्णतया आश्रित माता-पिता से मिलकर बनेगा ।

ख. अस्पताल में भर्ती व्यय :

I. 01-04-89 को या उस तारीख से अस्पताल में भर्ती प्रभारों को किसी अधिकारी की दशा में 90 प्रतिशत तक और उसके कुटुम्ब के सदस्यों की दशा में 60 प्रतिशत तक उन मामलों में प्रतिपूर्ति की जाएगी जिनमें अस्पताल में भर्ती किया जाना अपेक्षित उपगत व्यय बिलों बाउचरों, इत्यादि के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी जोकि समय-समय पर सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित सीमा के अधीन होगी ।

II. अधिकारियों या उसके कुटुम्ब के सदस्यो से यह प्रत्याशा है कि वे सरकारी या नगरपालिका अस्पताल से या किसी प्राइवेट अस्पताल (अर्थात् किसी न्यास पूर्ति सस्था या धार्मिक मिशन के प्रबधाधीन अस्पताले) मे भर्ती हो, किंतु अपरिहार्य परिस्थियो मे अधिकारी या उनके कुटुम्ब के सदस्य या दोनो किसी अनुमोदित प्राइवेट नर्सिग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित प्राइवेट अस्पतालो की सेवाओ का लाभ उठा सकेगे । किंतु ऐसे मामलो मे प्रतिपूर्ति उस रकम तक निर्बन्धित होगी जिसकी उस दशा मे प्रतिपूर्ति की जाती जब रोगी को ऊपर उल्लिखित अस्पतालो मे से किसी मे भर्ती किया जाता ।

III. 01-04-1989 को या उस तारीख से निम्नलिखित बीमारियो, जिनके लिए आवासीय चिकित्सा आवश्यक है और जिन्हे मान्यता प्राप्त अस्पताल प्राधिकारी और बैंक के चिकित्सा अधिकारी ऐसे प्रमाणित करते हैं, के लिए उठाए गए व्ययो को अस्पताल मे भर्ती व्यय माना जाएगा और अधिकारियो के मामले मे 90% तक और उनके परिवार सदस्यो के मामले मे 60% तक प्रतिपूरित किया जाएगा : केन्सर, क्षयरोग, परैलिसिस, हृदय सबधी बीमारी, ट्यूमर, चैचक, प्लुअरसि, डफ्तीरिया, कुष्ठ, गुरदा की बीमारी ।

विशेषाधिकार छुट्टी

33(4) 01-01-1990 से या उसके उपरात विशेषाधिकार छुट्टी वहा के सिवाय जहा छुट्टी के लिए आवेदन किया गया हो तथा वह नामजूर कर दी गई हो 240 दिन से अधिक सचित नहीं हो सकेगी ।

एन० सुन्दरेसन,
सहायक महाप्रबधक (आ)
कृते इडियन बैंक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार सस्थान

बम्बई-400005 दिनाक 23 अप्रैल 1991

स० 3-डब्ल्यू सी ए (5) 9/91-92—इस सस्थान की अधिसूचना स० 3-डब्ल्यू सी ए (4)/8/90-91, दिनाक 02-01-91 के सदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुसरण मे एतद्द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार सस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर मे निम्नलिखित सदस्यो का नाम पुन उनके आगे दी गई तिथियो से स्थापित कर दिया है —

क्र० स०	सदस्यता स०	नाम एव पता	दिनाक
1	35226	श्री पजज के० हेगडे, एम० ए०, लवलॉक एण्ड लेवीस, महिन्द्रा हाउस, 15, जे० एन० हरेडीआ मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, बम्बई-400038 ।	01-10-90

दिनाक 24 अप्रैल 1991

स० 3-डब्ल्यू सी ए (4)/ 21/ 90-91— चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण मे एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा 2 (अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार सस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर मे से मृत्यु हो जाने के कारण श्री पुलीक ल ए० नायर, (सदस्यता स० 4699), 173, ज्युपिटर, कफ परेड, बम्बई-400005 का नाम दिनाक 21-7-1990 से हटा दिया है ।

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनाक 18 अप्रैल 1991

स० यू-16/53/ (1)/ 89- चि०-2 (महाराष्ट्र) सग्रह-II— कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तिया प्रदान करने के सबध मे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनाक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक मे पास किए गए सकल्प के अनुसरण मे तथा महानिदेशक के आदेश स० 1024 (जी) दिनाक 23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तिया आगे मुझे सौपी जाने पर, मै इसके द्वारा अमलनेर के डा० जी० वी० देशमाने को विद्यमान मानको के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनाक 1-1-1991 से 31-12-1991 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, इसमे से जो भी पहले हो अमलनेर केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियो की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता मे सदेह होने पर उन्हे आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप मे कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ ।

डा० कृष्ण मोहन सक्सैना,
चिकित्सा आयुक्त

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 अप्रैल 1991

सं. 25-7/91 ... गुम हुई निम्नलिखित ... पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है ... दिया गया है। निदेशक, ... के नाम दुहरी पालिसियां ... दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन देन न करें।

क्र० सं०	पालिसी सं०	दिनांक	बीमाकर्ता का नाम	राशि (रुपये)
1.	35870-बी०एल०पी०-70	6-9-84	श्री एच० ...रण शेट्टी	20,000/-

दिनांक 02 मई 1991

सं. 25-6/91—... विभाग ... गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है ... दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा ... के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन देन न करें।

क्र० सं०	पालिसी सं०	दिनांक	बीमाकर्ता का नाम	राशि (रुपये)
1.	272159-पी०ई०ए०/58	2-2-76	श्री ए० ...	5,000/-
2.	111082-पी०ई०ए-55	29-9-65	...	2,000/-

... नाथ
(...)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(प्रशासन प्रभाग)

दिनांक 22 अप्रैल 1991

सं. ... 1-6/82 ... राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 की धारा 67 ... प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ... केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से रा० स० वि० नि० यात्रा तथा दैनिक भत्तो विनियम के विनियम 5.1 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :—

वर्तमान प्रावधान | आवास प्रभार

कर्मचारी वर्ग (क्र०)	'क' श्रेणी के शहर**	ख-श्रेणी के शहर	अन्य स्थान
1. प्रबंध निदेशक	अशोक होटल नई दिल्ली में एक कमरे के किराए तक सीमित	... 75%	... 50%

संशोधित प्रावधान .

1. प्रबंध निदेशक तथा उप प्रबंध निदेशक	—वही—		

2. यह विनियम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यात्रा तथा दैनिक भत्ता (संशोधन) विनियम 1961 कहलाएगा।

जे० एल० एल० श्रीवास्तव,
प्रबंध निदेशक

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 अप्रैल 1991

सं. 2/1959/डी एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/661—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को ... 28-2-90 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में, उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि।	अवधि जिसके लिये और छूट दी गई है।	के०भ०नि०आ फाइल न०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मैसर्स [illegible] इण्डस्ट्रीज लि०, दिल्ली गेट के सामने दुधेश्वर रोड पी० बी० न० 131 अहमदाबाद	जी जे०/297	एस-35014(137)/83-पी० एफ II दिनांक 30-9-83	29-7-86	30-7-86 से 29-7-89 और 30-7-89 से 29-7-92	2/339/80/ डी० एल० आई
2	मैसर्स केडिला [illegible] सर्विस, 244 गोदासर, मैणीनगर अहमदाबाद-380008	जी० जे०/1357	एस०-35014(9)/84-पी० एफ० II/एस० एम II दिनाक 29-1-87	16-3-90	17-3-90 से 16-3-93	2/986/83/ डी० एल० आई०
3	मैसर्स केडिला केमिकल्स (प्रा०) लि 29 [illegible] आई डी सी इण्डस्ट्रीज एस्टेट अंकलेश्वर [illegible] [illegible]	जी० जे०/3993	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जम/89/पार्ट-I दिनाक 7-5-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/708/82-डी०एल०आई०
4	मैसर्स रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि० 103-106 नारोदा इण्डस्ट्रीयल एस्टेट नारोद अहमदाबाद-382330	जी० जे०/4147	एस०-35014/65/80-पी० एफ० II एस० एस० II-दिना 15-1-88	8-3-91	9-3-91 से 8-3-94	2/422/80/ डी० एल० आई०
5	मैसर्स गुजरात स्टोर ट्यूब लि० बैंक आफ इण्डिया बिल्डिग वोदरा अहमदाबाद, 382470	जी० जे०/4473	2/1959/एक्जम/89/ पार्ट-I दिना 29-8-90	28-2-93	1-3-90 से 28-2-90	2/313/80/ डी० एल० आई०
6	मैसर्स मेहसाना डिस्ट्रीक्ट को-आ. रेटिव मिल्क प्राड्यूसर्स यूनियन लि० पा० बो 1 मेहसाना-384002 गुजरात	जी जे /4827	एस० 35014/248/83/पी० एफ० II/दिनॉक 13-1-88	23-12-89	24-12-89 से 23-12-92	2/341/80-डी०एल०आई०
7.	मैसर्स गुजरात [illegible] मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि०, आनन्द डेयरी रोड, आनन्द, गुजरात	जी जे०/7286	एस० 35014(242)/85/ एस० एस० II दिनाक 18-11-85	17-11-88	18-11-88 स 17-11-91	2/685/91-डी० एल० आई
8.	मैसर्स ए० एक्स मैटल इण्डस्ट्रीज, जी० आई० डी० सी० गन्दलत वलसाद, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट वलसाद	जी० जे०/9545	2/1959/एक्जम/ डी० एल० आई०/89/पार्ट-I दिना 1-8-90	28-2-90	1-3-90 स 28-2-93	2/2788/90 डी० एल० आई
9.	मैसर्स विश्वनगर नागरिक सहकारी बैंक लि मन्दिर बाजार, विश्वनगर-384315	जी० जे०/11959	एस०-35014(28)/86/एस एस-II दिना 5-2-86	5-2-89	6-2-89 से 5-2-92	2/1241/85-डी० एल० आई०

अनुसूची II

1 उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उनकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितो/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने से एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी एल आई /छूट/89/भाग-1/667—यतः अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजक ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अधीन छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी एन सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी एन सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

क्षेत्र : कानपुर

अनुसूची 1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं	स्थापनाएं को छूट लेने के लिये भारत सरकार अधिसूचना सं० तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये और छूट दी गई	कं० भ० नि० अग फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स ट्रू पार्टस आफ इण्डिया लि० 4 इडस्ट्रीयल एरिया गोविन्द नगर कानपुर-208002	यू० पी०/1891	एस-35014/69/83/ पी० एफ० II/दिनांक 14-4-83	13-4-86	14-4-86 से 13-3-89 और 14-3-89 से 28-2-90	2/862/83/ डी० एल० आई०
2.	मै० ट्रू पार्टस आफ इण्डिया लि० सी० 35 और 36 इण्डस्ट्रीयल एरिया पंकी पी० ओ० उद्योग नगर कानपुर-208022	यू पी/7212	एस०-35014/115/83- पी० एफ० II दिनांक 6-5-83	5-5-86	6-5-86 से 5-5-89 और 6-5-89 से 28-2-90	2/862/83/ डी० एल० एल०
3.	मै० नेशनल वाइन्डर पिशाचमोचन मार्ग बार-शासी-221002	यू० पी०/938	एस०/35014/52/83/ पी० एफ०-II/दिनांक 12-3-83	11-3-86	12-3-86 से 11-3-89 और 12-3-89 से 28-2-90	2/840/83 डी० एल० आई

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि पर राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना

नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 1 मई 1991

सं 2/1959/डी एल आई /एक्जाम/89/भाग-1/727 -जहां मैसर्स जी एल रेकसगेथ इण्डस्ट्रीज लि पापलर हाउस, 6 ठी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009 (जी जे /6928-ए) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी एन सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी एन सोम उक्त स्थापना को निम्नलिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है 1-5-88 से 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची -II

1 उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम को, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 27th April 1991

No. 6/1991.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and as approved by the Reserve Bank of India and the Board of Directors of the Associate Bank, the State Bank of India has approved the undernoted amendments in Regulations 6(A)(i), 7 and 19 of the State Bank of Hyderabad Employees' Pension Fund Rules :—

RULE 6(A) (i)

"Every employee admitted to the Fund shall, as from the date of his admission, contribute monthly to the pension section of the Fund, five percent on his substantive salary and special allowance and any other allowance to the extent these rank for superannuation benefits; but to a maximum of five percent on Rs. 2000/- per mensem, such contributions being made by deduction from salary. The administrators shall have power at their discretion to suspend the operation of this rule or reduce the percentage of employees' contribution at any time and for such period as they shall think necessary and to re-impose the contributions should they consider it necessary but without retrospective effect. In respect of any period in which the full substantive salary of an employee is not payable to him, his contributions shall be calculated on his reduced substantive salary (if any)."

RULE 7

"The Bank will subscribe monthly to the Pension section of the Fund a sum equal to five percent of the substantive salary and special allowance and any other allowance to the extent these rank for superannuation benefits, payable by the Bank to all employees who are members of the Fund."

RULE 19

"Subject to the other provisions of these rules and regulations, pensions shall be payable at the rate of one sixtieth part for every year's service of the average monthly substantive salary and special allowance and any other allowance to the extent these rank for superannuation benefits drawn during the last five years service at date of retirement."

By the Orders of the Central Board

Sd/- ILLEGIBLE
Managing Director

STATE BANK OF TRAVANCORE

(Associate of the State Bank of India)

Thiruvananthapuram, the 29th April 1991

The thirty-first Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Travancore will be held in the Auditorium attached to Kerala State Co-operative Bank Limited, Co-Bank Towers, Thiruvananthapuram-695 033 on Wednesday, the 26th June, 1991 at 11 a.m. (Standard Time) for the transaction of the following business :

"To receive the Report of the Board of Directors, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made upto the 31st March, 1991 and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

J. C. SOARES
Managing Director

INDIAN BANK

CENTRAL OFFICE

PERSONNEL DEPT.

Madras-600001, the 26th April 1991

No. SRC/223/114.—In exercise of the powers conferred by Sec. 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of INDIAN BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the INDIAN BANK OFFICERS' SERVICE REGULATIONS, 1979.

2. **Short title and Commencement :** These regulations may be called the INDIAN BANK OFFICERS' SERVICE (AMENDMENT) REGULATIONS, 1991. They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3 Details of the Amendment to be indicated :

Indian Bank Officers' Service Regulations, 1979

—**Amendment to Regulations**, 21, 22(2), 24(1) & 33(4).

ANNEXURE

INDIAN BANK (OFFICERS') SERVICE REGULATIONS, 1979—AMENDED VERSION OF REGULATIONS

Dearness Allowance

21 On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every raise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 2500/- plus,

(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2500/- to Rs. 4000/- plus,

(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4000/- to Rs. 4260/- plus,

(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4260/-.

House Rent Allowance

22(2) On and from 1-1-1990, where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :—

Column I	Column II
Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Govt. & Project Area Centres in Group 'A'	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 450/- p.m.
(ii) Other Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay subject to a maximum of Rs. 375/- p.m.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union/ Territories not covered by (i) and (ii) above	10% of the pay subject to a maximum of Rs. 325/- p.m.
(iv) Area III	8% of the pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or at the rates indicated in Column II with a maximum of 175% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise, whichever is lower.

Explanation : With effect from 1-4-1990.

1. (b) where accommodation has been hired by the Bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (a) above, whichever is lower.

(2) In this Regulation and in Regulation 23 Area I, Area II and Area III shall mean as under :—

Area I—Places with a population of more than 12 lakhs.

Area II—All cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh and more.

Area III—All places not included in Area I and Area II.

Medical Aid

24 (1) An Officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—

(a) Medical Expenses :

On and from 1-1-1990 reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :

TABLE

Pay Range	Reimbursement Limit p.a.
1	2
Rs. 2100/- to Rs. 3060/- p.m.	Rs. 750/-
Rs. 3061/- p.m. and above	Rs. 1000/-

Note : An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Explanation :

'FAMILY' of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses :

(i) On and from 1-4-1989, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital, i.e. hospital under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in case of an officer and 60% in case of his family members :—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleurosy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment.

Privilege Leave 33(4)

On and from 1-1-1990, Privilege Leave may be accumulated upto not more than 240 days except where leave has been applied for and it has been refused.

N. SUNDARESAN,
Asst. General Manager (PL)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

WESTERN INDIA REGIONAL SECRETARIATE

Bombay-400 005, the 23rd April 1991

No. 3WCA(5)/1/91-92.—With reference to this Institute's Notification 3WCA(4)/8/90-91 dated 2-1-91, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the date mentioned against the name, the name of the following gentleman :

Sr. No.	M. No.	Name & Address	Date
1.	35226	Shri Sanjay K. Hegde, ACA, Lovelock & Lewis, Mahindra House, 15, J.N. Heredia Marg, Ballard Estate, Bombay-400038.	1-10-90

The 24th April 1991

No. 3WCA(4)/21/90-91.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from 21-7-1990, the name of Shri Pulikkal A. Nair, (M. No. 4699), 173, Jupiter, Cuffe Parade, Bombay-400 005.

M. C. NARASIMHAN
Secretary

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 18th April 1991

No. U-16/53(1)89/Med. II(Mah.) Col.II.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. G. V. Deshmane of Amalner Centre to function as medical authority w.e.f. 1-1-91 to 31-12-91 or till a full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Amalner Centre at a monthly remuneration as per existing norms, on the basis of number of insured persons for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. K. M. SAXENA
Medical Commissioner

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

DEPARTMENT OF POST

New Delhi, the 30th April 1991

No. 25-7/91-LI.—P.L.I. policy particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policy in favour of the insurant. The public are hereby caustioned against dealing with the original policy :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	35870-B LP/70 6-9-84	Shri H. Karunakara Shetty	20,000/-

The 2nd May 1991

No. 25-6/91-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment of thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby caustioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No.	Date	Name of Insurance	Amount (Rs.)
1.	272159-P, EA/58	2-2-76	Shri S. Naguraju	5,000/-
2.	111082-P	29-9-65	Shri V. Kendaiah	2,000/-

P. GOPINATH
Director (PLI)

MINISTRY OF LABOUR

DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY

Dhanbad, the 25th April 1991

CORRIGENDUM

No. Board/Coal/91/1882.—In line 2 of column 4 of the English version of the Notification No. Board|Coal|3761/90 dated 18th June 1990 of the Govt. of India, Ministry of Labour, Directorate-General of Mines Safety published in Part-III, Section-4 at page 2160 of the Gazette of India dated 14th July 1990, after the words "appearing in two" the word "or" may be inserted.

K. PAUL
Chairman
Board of (Coal) Mining Examination
&
Director-General of Mines Safety

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

(ADMINISTRATION DIVISION)

The 18th April 1991

No. NCDC.1-3/82-Admn.—In exercise of the powers conferred by Regulation 67 of the NCDC Service Regulation 1967, the Corporation with the approval of the Board of Management and the Central Govt., hereby make the following amendments to Regulation 5.1 of the NCDC Travelling and Daily Allowance Regulations :—

EXISTING PROVISION:

Lodging Charges

Pay Range (Rs.)	'A' Cities **	B-1 Cities	Other Places
1. Managing Director	Limited to rent of a single room in Hotel Ashok, N. Delhi	75% of Col.**	50% of Col.**

AMENDED PROVISION:

1. Managing Director & Dy. Managing Director		Do.	

2. This Regulation may be called the NCDC Travelling and Daily Allowances (Amendment) Regulations, 1991.

J. N. L. SRIVASTAVA
Managing Director

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 22nd April 1991

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/661.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter refetred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub- Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M/s Rustom Mills & Industries Limited, Out side Delhi Gate, Dudheshwar Road, P.B. No. 131 Ahmedabad.	GJ/297	S-35014 (137)83-PF-II dated 30-7-83	29-7-86	30-7-86 to 29-7-89 and 30-7-89 to 29-7-92	2/339/80-DLI
2.	M/s Cadila Consultancy Services, 244, Ghodasar, Maninagar, Ahmedabad-380008	GJ/1357-B	S-35014(9)84/PF-II/SS-II dated 29-1-87	16-3-90	17-3-90 to 16-3-93	2/986/83-DLI
3.	M/s Cadila Chemicals Pvt. Ltd., 291, G.I.D.C. Industrial Estate, Ankleshwar-393002	GJ/3993	2/1959/DLI/Exmp/89, Pt. I dated 7-5-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/708/82-DLI
4.	M/s Reliance Industries Limited, 103-106, Naroda Industrial Estate, Naroda, Ahmedabad-382330.	GJ/4147	S-35014/65/80-PF-II (SS-II) dated 15-1-88	8-3-91	9-3-91 to 8-3-94	2/422/80/DLI
5.	M/s Gujarat Steel Tubes Limited, Bank of India Building, Bhodra, Ahmedabad-382470.	GJ/4473	2/1959/Exemp/DLI/89/ Pt-I dated 29-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-90	2/313/80-DLI
6.	M/s Mehsana District Co-operative Milk Producers Union Ltd. P.B. No. I, Mehsana-384002 Gujarat	GJ/4827	S-35014/248/83/PF-II (SS.II) dated 13-1-88	23-12-89	24-12-89 to 23-12-92	2/341/80-DLI
7.	M/s Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd. Anand Diary Road, Anand (Gujarat)	GJ/7286	S-35014(242)85/SS-IV dated 18-11-85	17-11-88	18-11-88 to 17-11-91	2/685/82-DLI
8.	M/s A.Z Metal Industries, G.I.D.C. Gundlav, Valsad Industrial Estate Valsad.	GJ/9545	2/1959/Exm/DLI/89/ Pt. I dated 1-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2788/90-DLI
9.	M/s Visnagar Nagrik Sahakari Bank Ld., Mandir Bazar, Visnagar-384315	GJ/11959	S/35014(28)86/SS.II dated 5-2-86	5-2-89	6-2-89 to 5-2-92	2/1241/85/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintained such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view

9 Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12 Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect

No 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt 1/667.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act)

AND WHEREAS, I, B N SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

NOW THEREFORE in exercise of the power conferred by Sub Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour C P F C Notification No and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B N SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule I against their names

Kanpur (U.P.)

S No	Name & Address of the establishment	Code No	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of Expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C P F C 's File No
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	M/s Track Parts of India Ltd 4, Industrial Area, Govind Nagar, Kanpur-208002	UP/1891	S-35014/69/83/PF II/ dated 14-4-83	13-4-86	14-4-86 to 13-3-89 and 14-3-89 to 28-2-90	2/862/83 DLI
2	M/s Track Parts of India Ltd., C-35 & 36 Industrial Area, Panki, P O Udyog Nagar, Kanpur-208022	UP/7212	S-35014/115/83/PF II/ dated 6-5-83	5-5-86	6-5-86 to 5-5-89 and 6-5-89 to 28-2-90	2/862/83 DLI
3	M/s National Winder Pishchmochan Marg, Varanasi-221002	UP/938	S-35014/52/83/PF.II/ dated 12-3-83	11-3-86	12-3-86 to 11-3-89 and 12-3-89 to 28-2-90	2/840/83 DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintained such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9 Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

The 1st May 1991

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./727.—WHEREAS M/s. G. L. Rexroth Industries Ltd., Popular House 6th Floor, Ashram Road, Ahmedabad-380009 (Code No. GJ/6928-A) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-5-88 to 28-2-90.

SCHEDULE

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintained such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (3) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the

benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complets in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1991.